



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052020-219581
CG-DL-E-27052020-219581

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1466]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942

No. 1466]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISTHA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

का. आ. 1633(अ).—केन्द्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, 1956 (1956 का 48) (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार, कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, के निर्माण के लिए आवश्यक है (चौड़ीकरण / चार लेनिंग आदि), कर्नाटक के राज्य में बेलगावी जिले में किलोमीटर 0.00 से किलोमीटर 40.00 (विजयपुर-संकेतखंड) तक भूमि के खिंचाव में रखरखाव, प्रबंधन और संचालन। ऐसी भूमि का अधिग्रहण करना।

आधिकारिक गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, धारा 3 सी की उपधारा (1) के तहत पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति करेगा। अधिनियम कहा।

इस तरह की हर आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग मिनी विधान सौधा, लिखित में धारवाड़ को दी जाएगी और उसके आधार को निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा, या तो व्यक्ति में या एक कानूनी व्यवसायी द्वारा, और हो सकता है, इस तरह की सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और इस तरह की आगे की पूछताछ करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों की अनुमति दें या अस्वीकार करें।

उक्त अधिनियम की धारा 3 सी की उपधारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

उनकी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की योजना और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक के राज्य में किलोमीटर .0.00 से किलोमीटर .40.00 NH548B (विजयापुर-संकेत खंड) की भूमि के भीतर गिरने वाली संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: बेलगावी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: अथनि					
गांव का नाम: तेलसैंग					
1	365/1 365/2 365/3 365/4	निजी	ड्राई	7,941.2000000(वर्ग मीटर)	0.7941200
2	370	निजी	ड्राई	192.1710000(वर्ग मीटर)	0.0192171
3	371/1 371/2 371/3 371/4 371/5	निजी	ड्राई	1,466.6400000(वर्ग मीटर)	0.1466640
4	387 , 1 + 2 / 1 , 1 + 2 / 2 , 1 , 2 , 3	निजी	ड्राई	4,478.3900000(वर्ग मीटर)	0.4478390
5	391	निजी	ड्राई	7,169.3800000(वर्ग मीटर)	0.7169380
6	487 , 1 , 2	निजी	ड्राई	1,628.3400000(वर्ग मीटर)	0.1628340
7	510 , 1 , 3 , 4 , 2	निजी	ड्राई	3,676.2600000(वर्ग मीटर)	0.3676260
8	610 , 1 , 2	निजी	ड्राई	1,647.7900000(वर्ग मीटर)	0.1647790
9	611 , 1 , 2 , 3	निजी	ड्राई	94.3190000(वर्ग मीटर)	0.0094319
10	612 B	निजी	ड्राई	178.5940000(वर्ग मीटर)	0.0178594
11	952	निजी	ड्राई	2,119.2900000(वर्ग मीटर)	0.2119290
12	953	निजी	ड्राई	1,773.6800000(वर्ग मीटर)	0.1773680
13	954	निजी	ड्राई	1,106.2100000(वर्ग मीटर)	0.1106210
14	972 A	निजी	ड्राई	792.0660000(वर्ग मीटर)	0.0792066
15	972 B	निजी	ड्राई	283.6040000(वर्ग मीटर)	0.0283604
16	9911	निजी	ड्राई	789.6590000(वर्ग मीटर)	0.0789659
कुल				35,337.5930	3.5338

[फा. सं. ENH/vjp/3a/548B/1201/3A2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2020

S.O. 1633(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH548B in the stretch of land from Km 0.00 to Km. 40.00 (Vijayapur-Sankeshwar Section) in the district of BELAGAVI in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special land acquisition officer National Highways Mini Vidhan soudha, Dharwad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km.0.00 to Km. 40.00 NH548B (Vijayapur-Sankeshwar Section) in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: BELAGAVI			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Athni					
Village: Telsang					
1	365/1 365/2 365/3 365/4	Private	dry	7,941.2000000(Square Meter)	0.7941200
2	370	Private(dry)	dry	192.1710000(Square Meter)	0.0192171
3	371/1 371/2 371/3 371/4 371/5	Private	dry	1,466.6400000(Square Meter)	0.1466640
4	387, 1 + 2 / 1, 1 + 2 / 2, 1, 2, 3	Private	dry	4,478.3900000(Square Meter)	0.4478390
5	391	Private	dry	7,169.3800000(Square Meter)	0.7169380
6	487 , 1 , 2	Private	dry	1,628.3400000(Square Meter)	0.1628340
7	510 , 1 , 3 , 4 , 2	Private	dry	3,676.2600000(Square Meter)	0.3676260

8	610 , 1 , 2	Private	dry	1,647.7900000(Square Meter)	0.1647790
9	611 , 1 , 2 , 3	Private	dry	94.3190000(Square Meter)	0.0094319
10	612 B	Private	dry	178.5940000(Square Meter)	0.0178594
11	952	Private	DRY	2,119.2900000(Square Meter)	0.2119290
12	953	Private	dry	1,773.6800000(Square Meter)	0.1773680
13	954	Private	dry	1,106.2100000(Square Meter)	0.1106210
14	972 A	Private	dry	792.0660000(Square Meter)	0.0792066
15	972 B	Private	dry	283.6040000(Square Meter)	0.0283604
16	9911	Private(dry)	dry	789.6590000(Square Meter)	0.0789659
Total				35,337.5930	3.5338

[F. No. ENH/vjp/3a/548B/1201/3A2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.